1225
26/10/22

बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Kushal Yuva Programme कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रकिया जुलाई–2016 में प्रारम्भ की गई, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी IAP Company Pvt. Ltd. के द्वारा नालंदा जिला में प्रखंड–अस्थावां KYP06040011, प्रखंड– कतरीसराय KYP06040012 एवं प्रखंड–गिरियक KYP06040029 में प्रखंड कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जाने हेतु केन्द्र का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इस केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा उपरोक्त KYP Code आवंटित किया गया।

कालान्तर में मलीहा पाशा, पिता–एस0जी0 मुस्तफा, ग्राम+पोस्ट–उगावाँ थाना–अस्थावां जिला–नालंदा के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि निदेशक, IAP Company Pvt. Ltd. द्वारा KYP केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उनके साथ 20:80% प्रति माह के हिसाब से द्वितीय पक्ष को देना होगा, के आधार पर समझौता किया गया है। सेन्टर का सारा खर्च द्वितीय पक्ष स्वंय करेंगे। हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

मलीहा पाशा से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निदेशक, IAP Company Pvt. Ltd. से स्पष्टीकरण की माँग की गई। स्पष्टीकरण का जवाब स्पष्ट नहीं होने के कारण मामले की जाँच संबंधित जिले के श्रम अधीक्षक एवं जिला कौशल प्रबंधक से कराया गया। तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् है:–

जाँच के दौरान यह स्पष्ट रूप से विदित हुआ कि IAP Company Pvt. Ltd. के को बुलाए जाने के वाबजूद वे उपस्थित नहीं हुए। साथ ही फ्रेंचाइजी संबंधी एग्रीमेंट पाया गया। उक्त एग्रीमेंट में 20:80% की हिस्सेदारी तय की गयी है। तीनों प्रखंड कौशल विकास केन्द्र प्रखंड–अस्थावां KYP06040011, प्रखंड– कतरीसराय KYP06040012 एवं प्रखंड–गिरियक KYP06040029 का इंटरनेट एवं बिजली बिल का भुगतान मलीहा पाशा के नाम से ही हैं, IAP Company Pvt. Ltd. के द्वारा पत्र के माध्यम जाँच सचिव को बताया गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से अपने फेन्चाइजी पार्टनर को किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असमर्थ हूँ। इसलिए केन्द्र की संचालन की जबावदेही मेरे पार्टनर के नाम से कर दिया जाय। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि केन्द्र का संचालन Franchisee Mode में किया जा रहा है।

मलीहा पाशा द्वारा समर्पित आवेदन, निदेशक, IAP Company Pvt. Ltd. से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा विभागीय जॉच प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि तीनों प्रखंड कौशल विकास केन्द्र प्रखंड–अस्थावां KYP06040011, प्रखंड– कतरीसराय KYP06040012 एवं प्रखंड–गिरियक KYP06040029 का संचालन IAP Company Pvt. Ltd. के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपितु इसका संचालन मलीहा पाशा के द्वारा Franchisee Mode में किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बँटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। IAP Company Pvt. Ltd. के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में तीनों प्रखंड कौशल विकास केन्द्र प्रखंड–अस्थावां KYP06040011, प्रखंड– कतरीसराय KYP06040012 एवं प्रखंड–गिरियक KYP06040029 का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्त्ता मलीहा पाशा के नाम पर परिवर्तित किया जाता है। मलीहा पाशा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा– संस्था का निबंधन कागजात, Centre Name, Owner's Name, Pan Detail of Owner, Bank Account of Owner, Email Id & Mobile No. of Owener की विवरणी तथा मो0 50हजार रूपये राशि की बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट प्रति केन्द्र के दर से Performance Gurantee बिहार कौशल

विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

26/10/22

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक–BSDM/SDM-29-2022 (खण्ड–1)– 1225 पटना, दिनांक– 26/10/22

प्रतिलिपि– IAP Company Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मलीहा पाशा, पिता–एस0जी0 मुस्तफा, ग्राम+पोस्ट–उगावाँ थाना–अस्थावां जिला–नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (कार्यकम कियान्वयन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/SPMU Inchrge, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/22

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन